न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री मुकेश कुमार चौधरी , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 05/2017 (निगरानी)

उनवान

राधेश्याम पुत्र श्री देवकरण पारेता आयु 57 वर्ष जाति कलाल निवासी पीपल्दा जिला कोटा

(निगराकार)

बनाम

1. श्रीमति कौशल्या बाई पत्नि बहादुर चन्द्र जाति बारहट निवासी पीपल्दाकलां तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. ग्राम पंचायत पीपल्दाकलां पंचायत समिति इटावा जिला कोटा

(गैर निगराकार)

उपस्थित :– 1. श्री राजेन्द्र प्रसाद माथुर (अभिभाषक निगराकार)
:– 2. गैरनिगराकार न01व2 अनुपस्थित

निगरानी बनाराजगी आदेश आंवटन संरपच ग्राम पंचायत पीपल्दाकलां तहसील पीपल्दा जिला कोटा दिनांक 30.11.2010. मि0स0 63 पट्टा सं0 1150 अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज0 अधिनियम

निर्णय दिनांक : 30.09.2024

1. निगराकार द्वारा यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायती राज अधिनियम 1994 में ग्राम पंचायत पीपल्दांकला तहसील पीपल्दा के आदेश दिनांक 30.11.2010 मि0स0 63 पट्टा सं0 1150 के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई है।

2. निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगराकार न01व2 की तलबी की गई । गैरनिगराकार न01 व 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। गैर निगराकार न0 1 व 2 पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर निगराकार अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक निगराकार का बहस निगरानी में कथन है ग्राम पंचायत पीपल्दाकलां तहसील पीपल्दा जिला कोटा ने ख0न0 318 की भूमि 90 X120 कुल 10 x800 वर्गफीट का आवंटन गैर निगराकार न01 के पक्ष में गलत रूप से एवं अवैध रूप से किया है जब कि वादग्रस्त जगह पर न तो कभी कोई कब्जा गैर निगराकार न01 का रहा है और न ही वह उक्त भू–भाग को आवंटन कराने की अधिकारी है बल्कि विवादित भू–भाग रास्ते की भूमि का है निगराकार को उक्त आवंटन के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 1 जून 2017 को जब गैर निगराकार न01 ने कब्जे शुदा आराजी पर आकर पट्टे की आड में जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जिस पर आवंटन आदेश नकल लेने का प्रयास किया तो ग्राम सेवक ने जानकारी दी कि उक्त पट्टे की केवल द्वितीय प्रमाणित प्रतिलिपि ही मौजूद है।जिसकी नकल निगराकार को दिनांक 7.06.2017 को प्रदान की गई। और बताया कि हम पत्रावली तलाश कर रहे है दिनांक 11.07.2017 के प्रमाण पत्र सं0 30 द्वारा ग्राम सेवक/ पदेन सचिव ग्राम पंचायत पीपल्दा कला ने जाहिर किया कि आवंटन की पत्रावली ढूंढने पर भी नहीं मिली। वादग्रस्त जगह ख0न0 629 रकबा 0.10 है0 कृषि आराजी का भाग है जो कि आबादी से घिर चुकी है

अति० जिला कलक्टर
कोटा

और निगराकार ने वादग्रस्त जगह जरिये इकरार नामा बेचान उक्त आराजी के खातेदार केसरा व कस्तूरा पिसरान भैरूलाल जाति बारेठ निवासी पीपल्दाकला से दिनांक 10.07.2008 को 20000/- रूपये में कय कर कब्जा प्राप्त किया था। जिसका एक दस्तावेज भी आलेखित किया गया था। जो नोटरी पब्लिक से प्रमाणित है और तब से ही निगराकार उक्त भूमि पर बतौर मालिक व स्वामी काबिज चला आ रहा है। गैर निगराकार न01 उक्त आवंटन आदेश के आधार पर वादग्रस्त जगह को ख0न0 318 को भाग बताकर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जब कि वादग्रस्त जगह ख0न0 629 का एक भाग है और ख0न0 318 रास्ता है जिसे कि कानूनन किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से आवंटन नहीं किया जा सकता है, लेकिन गैर निगराकार न01 ने गैर निगराकार न02 से मिलकर चुपचाप मिलीभगत कर उक्त जगह का पट्टा गलत रूप से जारी करवा लिया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉक 30.11.2010 निरस्त फरमाया जावे। तथा इसके आधार पर अप्रार्थी न01 के हक में जारी पट्टा सं0 1150 भी निरस्त फरमाया जावे।

4. गैर निगराकार न01 की ओर से दिनांक 18.05.2018 जवाब पेश किया गया था। जिसमे गैर निगराकार न0 1 ने जाहिर किया है कि ग्राम पंचायत पीपल्दाकलां द्वारा कानूनी सम्मत पट्टा आवास जारी किया है जिसमे किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। गैर निगराकार को नियमानुसार आवास भूमि का आवंटन कर पट्टा जारी किया गया है उक्त आराजी पर गैर निगराकार की कच्ची टापरी बनी हुई थी। उक्त भूमि ग्राम पंचायत पीपल्दाकला द्वारा गैर निगराकार के पक्ष में 30.11.2010 को पट्टा जारी किया गया। निगराकार द्वारा उक्त निगरानी मे मूल निर्णय की प्रति भी नहीं लगाई है, निगराकार द्वारा निगरानी ही मेन्टेबल नहीं है जबकि आवंटन की जानकारी निगराकार को पूर्व से ही है। किसी भी व्यक्ति को किसी सरकारी भूमि बेचने का कोई अधिकार नहीं है नाही विवादित आराजी से तथाकथित तहरीर का कोई संबधहै गैर निगराकार को आवंटित भूमि ख0न0 318 है तथा कथित तहरीर में ख0न0 629 है इस प्रकार दोनो भूमि का नम्बर भिन्न भिन्न है। निगराकार ने निगरानी में एक और उक्त भूमि को रास्ते की भूमि बता रहा है दूसरी और अपनी बता रहा है गैर निगराकार को आवंटित भूमि रास्ते की भूमि नहीं है आबादी की भूमि है जिसको ग्राम पंचायत ने पूर्ण कानूनी प्रकिया अपना कर आवंटन किया हैं भूमि का आवंटन नियमानुसार किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है आवंटन गैर निगराकार को 30.11.2010 को किया गया है जब कि निगरानी 14.07.2017 को पेश की गई है। अतः निगरानी बेरून मियाद होने तथा निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नहीं करने के कारण खारिज योग्य है।

5. हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजो का परीक्षण किया गया। उक्त पत्रावली के अवलोकन करने पर हम पाते है कि गैर निगराकार न0 2 ग्राम पंचायत पीपल्दाकंला द्वारा तत्समय गैर निगराकार न0 1 श्रीमति कौशल्या बाई पत्नि बहादुर चन्द्र को पट्टा 1150 दिनांक 30.11.2010 जारी किया गया था। जो ख0न0 318 पर जारी किया गया था। ख0न0 629 का अंकन पट्टे में नहीं दर्शाया गया है। निगराकार ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके की ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगराकार न0 1 श्रीमति कौशल्या बाई को ख0न0 629 पर पट्टा जारी किया है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी में किये गये कथन सारभूत एंव तथ्य परक नहीं होने से निगराकार की निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं समझते है।

6. अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी उपरोक्त विवेचन अनुसार खारिज की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(मुकेश कुमार चौधरी
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा

अति. जिला कलेक्टर
कोटा